

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 1738 /205/आउशि/बजट/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक ५/७/२०१८

निदेशक,
स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ
एम.पी.नगर भोपाल मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 5551 आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था योजना अन्तर्गत बजट आबंटन
-वित्तीय वर्ष 2018-19

संदर्भ- आपका प्रस्ताव नोटशीट क्रमांक 528/2018-19 दिनांक 24.07.18

उपरोक्त विषय में उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से योजना क्रमांक 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना को योजना क्रमांक 5551-आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था योजना में समाहित (मर्ज) किया गया है।

अतः संदर्भित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में आपके प्रकोष्ठ हेतु प्रस्ताव अनुसार कम्प्यूटर, फोटोकॉपीयर, प्रिंटर एवं स्केनर हेतु योजना क्रमांक 5551-आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था अन्तर्गत राशि रुपये 3,37,000-00 (रुपये तीन लाख सैंतीस हजार मात्र) का बजट आबंटन जारी किया जाता है।

(2) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण बजट शीर्ष 44-2202-03-102-0101-5551-42-007 वित्तीय वर्ष 2018-19 में विकलनीय होगा।

(3) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(6) अगवत हो कि वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु मासिक एवं त्रैमासिक सीमा निर्धारित की गई है। अतः आवंटित राशि का नियमानुसार यथाशीघ्र तत्काल आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ताकि राशि लैप्स होने की स्थिति निर्मित न हो सके।

(7) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(8) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(9) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

110

पृ०क०- 1739 / 205 / बजट / 2018
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक- 4/9/2018

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल ।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.सेल कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
7. समस्त संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

